राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम— 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्त्योदय अन्य योजना 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना 03 किं0ग्रा0 गेहूँ तथा 02 किं0ग्रा0 चावल कुल 05 किं0ग्रा0 प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनो योजनाओं पर गेहूँ रु0−02 प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल रु0−03 कि0ग्रा0 की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फी नम्बर 1800-1800-150 अथवा
 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।







खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन

जनपद : लखनऊ

राशन कार्ड क्रमांक : 215740510941

टाउन : ASHRAF NAGAR मुखिया का नाम :श्रीमती राम कृमारी

पिता / पति का नाम :श्री श्री कृष्ण

श्रेणी/जाति

निवास का पता : 0, MAKAU KHEDA, ASHRAF NAGAR, SAROJINI

NAGAR, Lucknow - 226002

आधार /इनरोलमेंट न ं : XXXX XXXX

गैस ग्राहक कनेक्शन सं०: गैस एजेंसी का नाम :

दिनांक: 23-05-2024

उचित दर दुकान : विश्वनाथ सिंह यूनिटों का विवरण : 5 (Five)

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.

सदस्य का नाम	आधार सीडिंग
HRIDYANSHI RAJPOOT	Yes
MINA KUMARI VERMA	Yes
SHRI KRISHNA	Yes
MANOJ KUMAR	Yes
RAM KUMARI	Yes